...ालय उपखण्ड अधिकारी, नैनवॉ जिला बून्दी(राज0)

...त्र संख्या :–73/2018 दायर दिनांक: 16.07.2018

...आसीन अधिकारी :–श्योराम (आर.ए.एस. प्रशिक्षु)

1. गजानन्द आत्मज गोपाल बैरवा निवासी ग्राम कैथूदा तहसील नैंनवां जिला बून्दी।

–प्रार्थी

बनाम

1. भूमिधारी राजस्थान सरकार द्वारा तहसीलदार साहब नैंनवा तहसील नैंनवां जिला बून्दी।

––अप्रार्थी

प्रार्थना–पत्र:– अन्तर्गत धारा 136 एलआरएक्ट

उपस्थिति:–

1. प्रार्थी के अभिभाषक श्री सीताराम धाकड़ एड़वोकेट

निर्णय दिनांक 27.02.2020

संक्षेप में प्रार्थना–पत्र का कथन इस प्रकार है कि प्रार्थना–पत्र की चरण सं. 1 में वर्णित भूमि ग्राम कैथूदा खाता सं. 50 के खसरा सं. 538, 761, 814, 1087, 1118, 1149, 1152 कुंल किता 7 रकबा 36 बीघा 13 बिस्वा भूमि है, जो प्रार्थीगण की पुश्तेनी भूमि है। प्रार्थी के पिता के खाते में खाता सं. 48 की भूमि खसरा सं. 619, खाता सं. 49 की भूमि खसरा सं. 1049, खाता सं. 47 की भूमि खसरा सं. 1152/1131 भी है। प्रार्थी के पिता की मृत्यु के बाद जो इन्तकाल खुला उसमें प्रार्थी का नाम गजानन्द है, परन्तु चरण सं. 1 में वर्णित भूमि में गजानन्द के स्थान पर रामेश्वर लिखने में आ गया। प्रार्थी को रामेश्वर भी बोलते थे। रामेश्वर पुत्र गोपाल बैरवा निवासी कैथूदा प्रार्थी के अलावा गांव में अन्य कोई व्यक्ति नही है। प्रार्थी को के. सी.सी. व अन्य कार्यों में भारी परेशानी होती है। प्रार्थी का नाम पंचायत रिकॉर्ड, राशन कार्ड, आधार कार्ड, वोटर कार्ड, सभी मे गजानन्द ही दर्ज है। अतः निवेदन है कि रामेश्वर का नाम हटाकर रामेश्वर के नाम के स्थान पर प्रार्थी का नाम गजानन्द दर्ज किया जावे।

अपने प्रार्थना–पत्र में जमाबन्दी ग्राम कैथूदा खाता सं. 50, जमाबन्दी सं. 48, जमाबन्दी सं. 49, जमाबन्दी सं. 47 ग्राम कैथूदा पंचायत का प्रमाण–पत्र, पास बुक बैंक, पहचान पत्र, राशन कार्ड, जाति प्रमाण–पत्र आदि की फोटो प्रति पेश की है। प्रत्यार्थी पैरोकार ने वादी गजानन्द ही रामेश्वर है, अपने जवाब मे माना है। इस प्रकार प्रार्थना–पत्र पर प्रार्थी की बहस सुनी गई एवं प्रस्तुत साक्ष्य रिकॉर्ड दस्तावेज का अवलोकन किया। प्रस्तुत जमाबन्दी खाता सं. 48, 49, 47 एवं प्रस्तुत उक्तानुसार प्रमाण–पत्रों में प्रार्थी का नाम खातेदार गजानन्द पि. गोपाल दर्ज है। जबकि चरण सं. 1 में वर्णित कृषि भूमि खाता सं. 50 में प्रार्थी का नाम रामेश्वर पि. गोपाल गलत दर्ज किया हुआ है, जो सहवन से दर्ज होना साबित होता है। अतः इन्द्राज दुरूस्त किया जाना न्यायोचित है। अतः ग्राम कैथूदा की जमाबन्दी सम्वत् 2069–72 खाता सं. 50 के खसरा सं. 538, 761, 814, 1087, 1118, 1149, 1152 कुंल किता 7 रकबा 36 बीघा 13 बिस्वा पर दर्ज रामेश्वर पि. गोपाल के स्थान पर गजानन्द पि. गोपाल इन्द्राज दुरूस्त किये जाने के आदेश किये जाते है, शेष इन्द्राज यथावत रहेगा। निर्णय मेरे द्वारा लिखाया जाकर हस्ताक्षर कर खुले न्यायालय में सुनाया गया। राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद किया जावे।

श्योराम

उपखण्ड अधिकारी
नैंनवॉं

E/Feshla 2019

Signature Not Verified
Digitally signed by Shyoram
Date: 2020.02.29 12:18:56 IST
Reason: SelfAttested